(8)

दूरभाष : (का0) 0135-2676260
फैक्स 0135-2676177

उत्तराखण्ड जल संस्थान

'जलभवन' बी–ब्लॉक, नेहरू कालोनी, देहरादून–248001

पत्रांक– 2111 / से0.का अधि.अधि. 2011 / 2024–25 दिनांक :– 15/07/2024

महत्वपूर्ण (ई0मेल द्वारा भी)

समस्त अधिशासी अभियन्ता

उत्तराखण्ड जल संस्थान,

जलकल अभियन्ता,
उत्तराखण्ड जल संस्थान
विकासनगर / ऋषिकेश।

विषय– उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम–2011 के अन्तर्गत अधिसूचित किये जाने वाले सेवाओ पर अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक उप सचिव उत्तराखण्ड शासन सु0 प्रौ0 सुराज एवं वि0 प्रौ0–03 देहरादून के शासनादेश संख्या 193325//E-35664/24/XXXIV(3)/-20(01)21 T.C देहरादून दिनांक 26 फरवरी 2024 से उत्तराखण्ड सरकार के समस्त विभागो / निगमो में सेवानिवृत्त / सेवारत राजकीय कार्मिको और उनके परिवार के सदस्यों (आश्रितों) को एलोपैथी एवं आयुष पद्वति (आयुर्वैदिक / सिद्वा / नैचुरोपैथी एवं यूनानी पद्वति सम्मिलित) से उपचार कराये जाने की दशा में चिकित्सकीय सुविधा / लाभ प्रदान करने हेतु संचालित State Government Health Scheme (SGHS) के अन्तर्गत बीजकों के भुगतान के सम्बन्ध में निम्नानुसार सेवाऐं उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 की धारा 03 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित की गयी है।

कम सं0	सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	समय सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5	6
1	गोल्डन कार्ड योजना (SGHS) के अन्तर्गत कार्मिको / पेंशनर्स द्वारा प्रस्तुत दावों / मेडिकल बिलों को ऐलोपैथी पद्वति से उपचार कराये जाने की दशा में चिकित्साधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा आयुष पद्वति से उपचार की दशा में निदेशक आयुर्वेद / होम्योपैथ / यूनानी / सिद्वा / नेचुरोपैथी को प्रेषित कराना (जैसी भी स्थिति हो)	सचिव प्रशासन / अधिशासी अभियन्ता / जलकल अभियन्ता	05 दिवस	मुख्य महाप्रबन्धक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
2	चिकित्साधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी / महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ / निदेशक,आयुर्वेद / होम्योपैथ / यूनानी / सिद्वा / नेचुरोपैथी से प्राप्त प्रतिहस्ताक्षरित मेडिकल बिलों पर स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही करना (जैसी भी स्थिति हो)				
	(च) रू0 1,50,000.00 तक	मुख्य महाप्रबन्धक	10 दिवस	सयुक्त अपर निदेशक अथवा विभाग का समकक्ष अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

क्र सं0	सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	समय सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5	6
	(छ) रू0 1,50,000.00 से अधिक एवं रू0 5,00,000.00 तक	मुख्य महाप्रबन्धक	10दिवस	शासन में प्रशासनिक विभाग का अपर सचिव	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
	(ज) रू0 5,00,000.00 से अधिक	शासन में प्रशासनिक विभाग के अपर सचिव	10 दिवस	सचिव / अपर सचिव	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
3	गोल्डन कार्ड योजना (SGHS) के तहत स्वीकृत मैडिकल बिलो को भुगतान हेतु राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को ऑन लाईन प्रेषित करना	विभाग का आहरण वितरण अधिकारी / अपर निदेशक अथवा समकक्ष अधिकारी	07 दिवस	सयुक्त / अपर निदेशक अथवा विभाग का समकक्ष अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

अतः आपको उप सचिव उत्तराखण्ड शासन सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एव विज्ञान प्रौद्योगिकी–03 देहरादून के शासनादेश संख्या 193325//E-35664/24/XXXIV(3)/20-(01)21 T.C देहरादून दिनांक 26 फरवरी 2024 की छाया प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि सेवा के अधिकार अधिनियम 2011 की धारा 03 के अन्तर्गत उक्त अधिसूचित 03 सेवाओं में उक्तानुसार निर्धारित समय अवधि के अन्तर्गत प्रकरणो का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करे। यदि भविष्य में नियत समय अवधि में प्रकरण का निस्तारण न होने का प्रकरण मुख्यालय के संज्ञान में आता है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित शाखाधिकारी / आहरण वितरण अधिकारी का होगा।

संलग्न–यथोपरि

(नीलिमा गर्ग)
मुख्य महाप्रबन्धक

संख्या एवं दिनांक तदैव,

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड जल संस्थान (मुख्यालय) देहरादून / पौड़ी / नैनीताल / पिथौरागढ़ ।

2–सचिव प्रशासन उत्तराखण्ड जल संस्थान जल भवन नेहरू कालोनी देहरादून।

3–समस्त अधीक्षण अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान ————

4- वरिष्ठ लेखाधिकारी उत्तराखण्ड जल संस्थान जल भवन नेहरू कालानी देहरादून ।

5--मुख्य प्रशासनिक अधिकारी उत्तराखण्ड जल संस्थान जल भवन नेहरू कालोनी देहरादून।

6–सहायक लेखाधिकारी (अधिष्ठान) उत्तराखण्ड जल संस्थान मुख्यालय देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप उक्तानुसार अधिसूचित सेवाओं के प्रकरणो का निस्तारण सम्यावधि के अन्तर्गत करवाया जाना सुनिश्चित करे।

7–संगणक उत्तराखण्ड जल संस्थान जल भवन नेहरू कालीनी देहरादून, इस आश्य के साथ प्रेषित की उक्त अधिसूचित सेवाओं को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।

मुख्य महाप्रबन्धक